भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE No. 51 /2009.

No.E(P&A)II-2007/RS-14

New Delhi, dated 26-3-2009.

The General Managers/OSDs/CAOs,
All Indian Railways & Production Units.
(as per mailing lists No.I & II).

Subject: Filling up posts of Loco Inspectors and Power Controllers/Crew Controllers – Modification thereof.

*****

The question of modifying the eligibility criteria for filling up the posts of Loco Inspectors and Power Controllers/Crew Controllers has been engaging attention of Railway Board for quite some time. After careful consideration, the Board have decided to modify the eligibility criteria contained in Board's letters no. E(P&A)II-83/RS-10(iv) dated 25.11.1992 and E(P&A)II-83/RS-10 dated 9.1.98, as amended from time to time, as under:-

(i) The words "three years footplate experience" mentioned in eighth line of para 1 of Board's letter No. E(P&A)II-83/RS-10 dated 7.10.2002 may be replaced by "75000 kms of actual driving experience as drivers". This shall also be applicable in the case of drivers medically decategorised upto the level "A-3" who are considered eligible for selection for the post of Loco Inspectors in terms of Board's letter No. E(P&A)II-2006/RS-21 dated 3.1.2007.

(ii) Para 2(b) of Board's letter dated 9.1.98 ibid may be substituted as under:-

"2(b) To perform the duties hitherto being performed by Power/Crew Controllers in the Control Office or in the place where the Crew Controllers were headquartered, eligible and suitable Mail/Express Drivers, Sr. Passenger/Passenger Drivers and Sr.Goods/Goods Drivers will be drafted. Only drivers having a minimum of 75000 Kms. of actual driving experience shall be eligible to be drafted as Power/Crew Controllers."

(iii) Existing running staff, including drivers medically decategorized up to the level "A-3", who are posted as Power/Crew Controllers, shall be eligible to be considered for the post of Loco Inspector, if they are already having the requisite 75,000 Kms of actual driving experience.

(iv) Existing running staff, posted as Power/Crew Controllers, who are not medically decategorised and who do not have the requisite 75,000 Kms of actual driving experience, will also be eligible to be considered for the post of Loco Inspector, with the proviso that the shortfall will have to be made good by them by being deployed on footplate duties, prior to their being actually posted to work as Loco Inspector.

2. The above modification will not be applicable in cases where selection process has already been initiated in terms of the instructions contained in Board's letter dated 25-11-1992, 9.1.98 and 7.10.2002 ibid.

3. This has the approval of the President and issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.

Md. Salim Ahmed

(Salim Md. Ahmed)
Deputy Director/Estt.(P&A)III
Railway Board.

.....2/-

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं. 51 /2009

सं. ई (पी एंड ए)II-2007/आरएस-14

नई दिल्ली, दिनांक: 26.03.2009

महाप्रबंधक/विशेष कार्य अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, इत्यादि
(डाक सूची I और II के अनुसार)

विषय: लोको निरीक्षकों और पावर नियंत्रकों/कर्मीदल नियंत्रकों के पदों को भरने के संबंध में आशोधन।

*****

लोको निरीक्षकों और पावर नियंत्रकों/कर्मीदल नियंत्रकों के पदों को भरने के लिए पात्रता संबंधी मानदंड को आशोधित करने का मामला कुछ समय से रेलवे बोर्ड का ध्यान आकर्षित करता रहा है। मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, बोर्ड ने विनिश्चय किया है कि समय-समय पर यथासंशोधित बोर्ड के 25.11.1992 के पत्र सं. ई (पी एंड ए)II-83/आरएस-10(iv) और 09.01.1998 के पत्र सं. ई (पी एंड ए)II-83/आरएस-10 में अंतर्विष्ट पात्रता संबंधी मानदंडों को नीचे दिए गए अनुसार आशोधित किया जाता है:-

(i) बोर्ड के 07.10.2002 के पत्र सं. ई (पी एंड ए)II-83/आरएस-10 के पैरा 1 की आठवीं लाइन में उल्लिखित "तीन वर्षों का फुटप्लेट अनुभव" शब्दों को "ड्राइवरों के रूप में 75000 कि.मी. का वास्तविक ड्राइविंग का अनुभव" से प्रतिस्थापित किया जाए। यह "ए-3" स्तर तक मेडिकल रूप से विकोटिकृत ड्राइवरों के मामले में भी लागू होगा जिन्हें बोर्ड के 03.01.2007 के पत्र सं. ई (पी एंड ए)II-2006/आरएस-21 के अनुसार लोको निरीक्षकों के पद के लिए चयन हेतु पात्र समझा जाता है।

(ii) बोर्ड के 09.01.1998 के उपर्युक्त पत्र के पैरा 2 (ख) को नीचे दिए गए अनुसार प्रतिस्थापित किया गया है:-

> "2 (ख) नियंत्रण कार्यालय में अथवा जिन स्थानों पर क्रू कंट्रोलरों को मुख्यालय में रखा जाता है, वहाँ पावर/क्रू कंट्रोलरों के द्वारा अब तक की जाने वाली ड्यूटियों को करने के लिए पात्र एवं उपयुक्त मेल/एक्सप्रेस ड्राइवर, वरिष्ठ पैसेंजर/पैसेंजर ड्राइवर और वरिष्ठ मालगाडी/मालगाडी के ड्राइवरों का पैनल तैयार किया जाएगा। केवल वे ड्राइवर जिन्हें न्यूनतम 75000 कि.मी. की वास्तविक ड्राइविंग का अनुभव है, पावर/कर्मीदल नियंत्रकों के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु पात्र होंगे।"

(iii) "ए-3" स्तर तक मेडिकल ग्रुप से विकोटिकृत ड्राइवरों सहित मौजूदा रनिंग स्टाफ, जिन्हें पावर/कर्मीदल नियंत्रकों के रूप में तैनात किया जाता है, लोको निरीक्षक के पद के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे, यदि उनके पास पहले ही अपेक्षित 75000 कि.मी. का वास्तविक ड्राइविंग अनुभव हो।

(iv) पावर/कर्मीदल नियंत्रकों के रूप में तैनात मौजूदा रनिंग स्टाफ जो मेडिकल रूप से विकोटिकृत नहीं हैं और जिनके पास अपेक्षित 75000 कि.मी. का वास्तविक ड्राइविंग अनुभव नहीं है, भी लोको निरीक्षक के पद के लिए विचार किए जाने के लिए इस शर्त के साथ पात्र होंगे कि कमी को, लोको निरीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु वास्तविक रूप से तैनात करने से पहले, उन्हे फुटप्लेट ड्यूटी पर तैनात करके पूरा किया जाएगा।

2. उपर्युक्त संशोधन उन मामलों में, जिनमें चयन प्रक्रिया बोर्ड के 25.11.1992, 09.01.1998 और 07.10.2002 के उपर्युक्त पत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार पहले ही शुरू की जा चुकी है, में लागू नहीं होंगे।